10

संख्या /XXVIII-5-2011-06CM/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांक: 28 अप्रैल, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरबर्टपुर जनपद देहरादून का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/8/2010/3282 दिनांक 04.02.11 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरबर्टपुर जनपद देहरादून का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु रू0 13.70 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 6.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 6.56 लाख (रुपये छः लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम चकराता, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपरान्त योजना के पुनरीक्षित आगणन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठन के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दर शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों, विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित क

5– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनाक 31.03.2011 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार अनुसार किया जायेगा।

7— मुख्य सचिव, उत्तरा... ...देश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा नि... ... करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई ...

8— यदि विभिन्न मदों हतु स्वी... धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के ...गणन में समायोजित की जाए ।

9— सामग्री क्रय व निर्माण ... हेतु उत्तराखण्ड अधि... नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

10— उक्त के संबंध में हो... वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सा...क स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–...(पी0)/XXVII(3)11–12 दिनांक 26 अप्रैल 2011 प्राप्त उनकी सह... निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–684 (1)/XXviii–5–2011–06CM/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. जिलाधिकारी, देहरादून ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम चकराता, देहरा... ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन ...ग/एन0आई0सी0।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव